संख्या–1/नियो०सम्पुष्टि०–01/2018................/श्र०सं०

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना–1, दिनांक–........................

विषय :– श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना के अन्तर्गत बिहार नियोजन सेवा के जिला नियोजन पदाधिकारी एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को कोषागार प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार नियोजन सेवा के जिला नियोजन पदाधिकारी एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को पदस्थापित कार्यालय का निकासी–सह–व्ययन पदाधिकारी भी बनाया जाता है, इस हेतु कोषागार प्रशिक्षण आवश्यक है।

अतः इनके वित्तीय कार्य के महत्व को देखते हुये नियमानुसार कोषागार प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(दीपक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/नियो०सम्पुष्टि०–01/2018 1502/श्र०सं० पटना–1, दिनांक–27/6/2018

प्रतिलिपिः– निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दोनों पक्ष), बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने जिले के जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर ले।

27/6/18

सरकार के प्रधान सचिव

SK- 123